



टी बोर्ड भारत Tea Board India

14, बी.टी.एम.सरणी (ब्रेबोर्नरोड) कोलकाता 700001

14, B.T.M Sarani (Brabourne Road) Kolkata 700 001

www.teaboard.gov.in

संदर्भ सं : 20(04)/2023/संवर्धन ::::::::::::::

::::::::::::

दिनांक: 06.02.2023

भारत के जी20 प्रेसीडेंसी, मुम्बई, 28-30 मार्च 2023 से संबंधित संवर्धनात्मक गतिविधियों के अंश के रूप में भारतीय चाय अनुभव क्षेत्र स्थापित करने हेतु परिपत्र

- मुम्बई में 28-30 मार्च, 2023 को आयोजित जी20 भारतीय चाय अनुभव क्षेत्र के लिए टी बोर्ड के साथ भाग लेने के इच्छुक चाय कंपनियों/आवेदकों को टी बोर्ड के साथ पंजीकृत होना होगा। उपरोक्त के संबंध में वैध लाइसेंस (जैसे आरसीएमसी/क्रेता लाइसेंस/निर्यातक लाइसेंस आदि) की प्रतियां कंपनी/आवेदक की मुहर और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के साथ आवेदन पत्र के साथ जमा की जानी चाहिए। लघु चाय उत्पादकों के मामले में (एसटीजी), टी बोर्ड इंडिया द्वारा जारी एसटीजी स्मार्ट कार्ड की प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- कंपनी/आवेदक को कंपनी/आवेदक की मुहर और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के साथ कंपनी के लेटर हेड पर एक वचनबंध प्रस्तुत करना पड़ेगा कि वह व्यापार और व्यवसाय से संबंधित किसी भी आधार पर किसी जांच/आरोपी/मुकदमा/विवर्जित/काली सूची में नहीं है, और निदेशक के पद से कम किसी के द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है कंपनी/आवेदक पर दी गई घोषणा की स्कैन कॉपी।
- कंपनी/आवेदक को कार्यक्रमों में केवल भारतीय चाय का प्रदर्शन/बिक्री/प्रदर्शन करना चाहिए। कंपनी/आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्व-घोषणा, कि पैविलियन से कंपनी/आवेदक केवल भारतीय चाय का प्रदर्शन/बिक्री/प्रदर्शन करेगा। कैमेलिया सिनेसिस के अलावा किसी अन्य पेय की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- डिस्प्ले, लीफलेट्स, मुफ्त उपहारों पर पैक्स/कार्टन्स/कैडीज आदि के संदर्भ में ब्रांडिंग की अनुमति होगी।

- स्टॉल से केवल इंडिया टी ही प्रदर्शित, सैम्पल एवं विक्रय किया जाएगा। गैर-चाय उत्पाद (अर्थात कैमेलिया सिनेसिस के पौधे से प्राप्त उत्पाद नहीं) या अन्य पेय पदार्थों के साथ-साथ भारत के अलावा अन्य मूल चाय को स्टालों से प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। इसमें किसी भी विचलन को गंभीरता से देखा जाएगा और उपाध्यक्ष के विवेक के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।
- प्रतिभागियों को यह सुनिश्चित करना है कि उनके प्रदर्शन को सौंदर्यपूर्ण तरीके से रखा गया है और प्रदर्शनी की पूरी अवधि के दौरान उनके आवंटित स्थान को ठीक से व्यवस्थित किया गया है। इंडिया टी एक्सपीरियंस जोन में एक अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक सभी आवश्यकताएं, उदाहरणस्वरूप चाय चखने और चाय के नमूने लेने की गतिविधियों के संचालन के लिए अनुभवी कर्मियों की भर्ती, यात्रा, आवास, नमूनाकरण उपकरण, रसद, कर्मचारियों के लिए स्मार्ट वर्दी, प्रदर्शन सामग्री, अतिरिक्त सामान और अन्य आकस्मिक शुल्कों की व्यवस्था और कंपनी /आवेदक द्वारा वहन की जाएगी।
- प्रत्येक चाय कंपनी/आवेदक को उचित प्रदर्शन और सहायक उपकरण के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- ग्रुप कम्पनियों के लिए केवल एक आवेदन पर विचार किया जाएगा जहां पूरे समूह को एक आवेदक माना जाएगा।

उपलब्ध स्थान से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त होने की स्थिति में निम्न तालिका के अनुसार मूल्यांकन किया जायेगा। प्राथमिकता स्टार्ट अप को दी जाएगी:

क्र.सं	विवरण	अंक
1	स्टार्ट अप्स	20
2	पिछले 3 वित्तीय वर्षों में मात्रा में औसत निर्यात	10
3	पिछले 3 वित्तीय वर्षों में मूल्य में औसत निर्यात	10
4	पिछले 3 वर्षों में घरेलू बाजार में इकाई मूल्य प्राप्ति (औसत)	10
5	पिछले 3 वर्षों में निर्यात बाजार में इकाई मूल्य प्राप्ति (औसत)	10
6	पिछले 3 वित्तीय वर्षों में घरेलू औसत वार्षिक कारोबार	10
7	पिछले 3 वित्तीय वर्षों में कंपनी का वार्षिक औसत कारोबार	10
8	पिछले 3 वित्तीय वर्षों में मूल्य वर्धित खंड (औसत) में व्यापार का प्रतिशत	10
9	स्टॉल के लिए सहायक उपकरण और सहायक उपकरण प्रदर्शित करें	10
	कुल	100

- कंपनियों की शॉर्टलिस्टिंग और उपलब्ध स्थान से अधिक संख्या होने पर, आगे का चयन लॉटरी द्वारा किया जाएगा।
- यदि आवेदक द्वारा प्रदान किया गया कोई भी विवरण गलत पाया जाता है और यदि कोई प्रासंगिक जानकारी छुपाई गई पाई जाती है, तो टी बोर्ड के उपाध्यक्ष के विवेक के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।
- किसी भी आवेदन से उत्पन्न होने वाले किसी भी संदेह या विवाद की स्थिति में, टी बोर्ड के उपाध्यक्ष का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

- योजना के कुशल और प्रभावी निष्पादन और इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समझे जाने वाले उप-घटक के किसी भी नियम और शर्तों को अपने विवेक से संशोधित करने, बढ़ाने या निरस्त करने का अधिकार टी बोर्ड के पास सुरक्षित है।
- संस्वीकृत प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्ताव, पुरस्कार, उपहार या कोई भौतिक लाभ देने वाले या कोई जबरदस्ती करने वाले व्यक्तियों के आवेदनों को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा।
- उपर्युक्त सभी दस्तावेजों में कंपनी/आवेदक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के साथ कंपनी/आवेदक की मुहर होनी चाहिए।
- इच्छुक चाय कंपनियों/आवेदकों को 50,000/- रुपये + 18% जीएसटी का भागीदारी शुल्क 15-02-2023 तक जमा करना होगा। अनुभव क्षेत्र की स्थापना के लिए कुल खर्च (50,000/- + 18% जीएसटी की भागीदारी शुल्क के अलावा) संयुक्त रूप से टी बोर्ड इंडिया और संबंधित कंपनियों द्वारा 20:80 शेयरिंग के आधार पर वहन किया जाएगा (व्यय का 20% अंश टी बोर्ड द्वारा वहन किया जाएगा और शेष 80% भाग लेने वाली कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा)। कंपनी के प्रतिनिधियों का विवरण प्रारूप के अनुसार विधिवत भरकर 15.02.2023 तक टी बोर्ड को प्रस्तुत किया जा सकता है।
- भागीदारी शुल्क के प्रेषण के लिए 50,000/- रुपये + 18% जीएसटी की एनईएफटी / आरटीजीएस का विवरण नीचे दिया गया है:

लेखा का नाम: Tea Board Market Promotion Scheme

बैंक: Bank of Baroda

शाखा: Brabourne Road

लेखा सं: 00260200000807

IFSC: BARB0BRABOU



(डॉ. ऋषिकेश राय)

सचिव



प्रतिभागियों के विवरण अग्रेषित करने के लिए प्रारूप

नाम (पूरा प्रतिशत शामिल होना चाहिए)	आधार नम्बर	व्यवहारिक मोबाईल नम्बर	स्थायी पता (तालुका/तहसील, गांव, जिला, घर/गली/लेन और पिन कोड के साथ पूरा करें) पुलिस स्टेशन का विवरण भी शामिल किया जाए)	वर्तमान पता (यदि लागू हो, लेकिन उसी प्रारूप में)	फोटो
राज राम रेड्डी (यह एक उदाहरण है)	806100983454	9448224611	#64/1, F1 Coffee Court, Millers Road, Benson Town Post Office, Bengaluru-560046 (Bharai Nagar Police Station)	#64/1, F1 Coffee Court, Millers Road, Benson Town Post Office, Bengaluru-560046	

प्रतिभागिता हेतु आवेदन

क्र.सं	विषय	विवरण
1	फर्म/कंपनी/आवेदक/संगठन का नाम	
2	पूर्ण संचार निर्देशांक (ई-मेल, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, पंजीकृत कार्यालय का पता)	
3	आयोजन में भाग लेने वाले अधिकारी का नाम	
4	समूह कंपनी/आवेदक का नाम	
5	टी बोर्ड के साथ पंजीकरण दिखाने वाले दस्तावेजों का नाम और संख्या	
6	पिछले 3 वित्तीय वर्षों में मात्रा में औसत निर्यात, पिछले 3 वित्तीय वर्षों में मूल्य में औसत निर्यात, पिछले 3 वर्षों में घरेलू बाजार में यूनिट मूल्य वसूली (औसत), पिछले 3 वर्षों में निर्यात बाजार में इकाई मूल्य प्राप्ति (औसत), पिछले 3 वित्तीय वर्षों में घरेलू औसत वार्षिक कारोबार, पिछले 3 वित्तीय वर्षों में कंपनी का वार्षिक औसत कारोबार, पिछले 3 वित्तीय वर्षों में मूल्य वर्धित खंड (औसत) में व्यापार का प्रतिशत (पिछले 3 वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए अलग से उल्लेख करें) वर्ष 1 वर्ष 2 वर्ष 3	
7	प्रदर्शनी का विवरण नाम शहर: राज्य: घटना की अवधि _____ से _____ तक	
8	क्या अन्य सरकार से सहायता प्राप्त की गई है क्रमांक 7 पर संदर्भ के अंतर्गत आयोजन के लिए निकाय/ईपीसी/कमोडिटी बोर्ड/एपीडा/एमपीईडीए/आईटीपीओ आदि।	

घोषणा

मैं/हम सत्यनिष्ठा से वचन देते/घोषणा करते हैं कि ऊपर वर्णित विवरण मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

कोई भी जानकारी, यदि गलत, या भ्रामक पाई जाती है, तो हम चाय बोर्ड के साथ आगामी कार्यक्रमों में हमारी भागीदारी को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी होंगे, इस संबंध में हमारे खिलाफ की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना।

यदि जांच के परिणामस्वरूप मुझे/हमें कोई अतिरिक्त भुगतान किया गया पाया जाता है, तो इसे मेरी/हमारी फर्म द्वारा किए जाने वाले किसी भी बाद के दावों के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है या यदि बाद में कोई दावा पाइपलाइन में नहीं है, अधिक भुगतान की गई राशि मेरे/हमारे द्वारा भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की सीमा तक वापस कर दी जाएगी।

हस्ताक्षर _____

नाम (मोटे अक्षरों में) _____

पद _____

आवेदक का नाम _____ फर्म _____

कार्यालय सील _____

स्थान:

दिनांक: